उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-47/2018/649/92-2-2018-03जॉच/2015

लखनऊ :: दिनांक:: 19 मार्च,2018

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-150/2017/1421/92-2-2017-03जांच/2015 दिनांक 11-08-2017 द्वारा भारत सरकार के डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत जनपद अलीगढ के पर्यटन स्थल अचलताल में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्व निर्मित सिविल निर्माण कार्य को फिनिशिंग तथा टाईबैंड को संतोषजनक स्थिति में न लाने तथा निर्मित कराये गये निर्माण कार्य को संबंधित विभाग को हैण्डओवर न किये जाने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने श्री एम0 एम0 बेग, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ तत्का0 विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 04-12-2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की उक्त जांच आख्या में स्थापित एक मात्र आरोप अपचारी अधिकारी पर सिद्व नही पाया गया।

2- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप एवं जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त एवं इसी मध्य अपचारी अधिकारी श्री बेग, तत्कालीन सहायक अभियंता अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप श्री बेग, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित करते हुये बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-47/2018/649(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री एम0एम0 बेग, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in